भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 1304

सोमवार, 28 जुलाई, 2025/6 श्रावण, 1947 (शक)

धुबरी में रोजगार के अवसरों में वृद्धि

1304. मोहम्मद रकीबुल हुसैन:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा असम के धुबरी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में, विशेषकर ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में युवाओं और महिलाओं के लिए, रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी हेतु कार्यान्वित किए गए या कार्यान्वित किए जाने वाले उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या धुबरी में रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल विकास कार्यक्रम शुरू किए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार इन कार्यक्रमों की निगरानी कर रही है और स्थानीय आबादी तक प्रभावी रूप से पहुंच रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ग): युवाओं और महिलाओं की नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है।

तदनुसार, सरकार असम के धुबरी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित देश भर में विभिन्न रोजगार सृजन योजनाएं/कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई), स्टैंड-अप इंडिया स्कीम, स्टार्टअप इंडिया, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), विज्ञान और इंजीनियरिंग में महिलाएं-किरण (डब्ल्यूआईएसई-किरण), एसईआरबी-पावर (अन्वेषणात्मक अनुसंधान में महिलाओं के लिए अवसरों को बढ़ावा देना), मिशन शक्ति, नमो ड्रोन दीदी और लखपति दीदी, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), पंडित दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), ग्रामीण स्वरोजगार और प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई), दीन दयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम), उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन आदि कार्यान्वित कर रही है। भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों का ब्यौरा https://dge.gov.in/dge/schemes_programmes पर देखा जा सकता है।

महिला कामगारों के लिए समान अवसर तथा अनुकूल कार्य वातावरण हेतु श्रम कानूनों में अनेक सुरक्षात्मक प्रावधान शामिल किए गए हैं।

श्रम और रोजगार मंत्रालय राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) पोर्टल चला रहा है, जो करियर से संबंधित सेवाएं प्रदान करने के लिए वन-स्टॉप समाधान है। यह पोर्टल एक डिजिटल प्लेटफॉर्म [www.ncs.gov.in] के माध्यम से निजी और सरकारी क्षेत्रों की नौकरियों, ऑनलाइन और ऑफलाइन रोजगार मेलों की जानकारी, नौकरी खोज और मिलान, करियर परामर्श, व्यावसायिक मार्गदर्शन, कौशल विकास पाठ्यक्रमों की जानकारी, कौशल/प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि प्रदान कर रहा है।

एनसीएस पोर्टल, रोजगार चाहने वालों की रोजगार क्षमता, डिजिटल और करियर कौशल को बढ़ाने और युवाओं को आवश्यक रोजगार योग्य कौशल की एक श्रृंखला से सशक्त और सुसज्जित बनाने के लिए, अन्य बातों के साथ-साथ ऑनलाइन रोजगार क्षमता वृद्धि कार्यक्रम, डिजिटल कौशल वृद्धि कार्यक्रम और स्व-गतिशील (सेल्फ-पेस) करियर कौशल कार्यक्रम आयोजित करता है।

सरकार कौशल भारत मिशन (एसआईएम) के तहत, कौशल विकास केंद्रों/विद्यालयों /महाविद्यालयों संस्थानों आदि के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से असम राज्य सहित पूरे देश में विभिन्न योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस) और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) आदि के तहत कौशल, पुन: कौशल और कौशल संवर्धन प्रशिक्षण का कार्यान्वयन कर रही है। एसआईएम का उद्देश्य भारत के युवाओं सहित महिलाओं को उद्योग से संबंधित कौशल प्रदान करके भविष्य के लिए सक्षम बनाना है।

इसके अतिरिक्त, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विनिर्माण क्षेत्र पर विशेष ध्यान देते हुए सभी क्षेत्रों में रोजगार सृजन, रोजगार क्षमता और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए रोजगार संबद्ध प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना को मंजूरी दी है।

नवीनतम उपलब्ध वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्टों के अनुसार, युवाओं (15-29 वर्ष) के लिए श्रम बाजार के विभिन्न संकेतक अर्थात बेरोजगारी दर (यूआर); श्रम बल भागीदारी अनुपात (एलएफपीआर) और कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) में सुधार की प्रवृत्तियां दिखाई दे रही हैं जो स्पष्ट रूप से विभिन्न सरकारी उपायों/कार्यक्रमों/योजनाओं की प्रभावशीलता को दर्शाते हैं।

*****